कार्यालय पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) इकाई उज्जैन
254, महाश्वेता नगर, देवास रोड उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक / पु0अ / आ0अ0प्र0 / उज्जैन / 1012-A /2025 दिनांक 10 / 07 / 2025

प्रति

बीज प्रमाणीकरण अधिकारी
म.प्र.राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था
उज्जैन

विषय :- विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 345(क) के सबंध में।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रं /436/वि.सभा/जान./ई.ओ.डब्ल्यु/2025-26 उज्जैन दिनांक 09.07.2025

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में लेख है कि विधानसभा मानसूत्र सत्र जूलाई-अगस्त 2025 में तारांकित प्रश्न क्रमांक 345 के बिंदु कमांक "क" द्वारा माननीय श्री महेश परमार विधान सभा सदस्य के तारांकित प्रश्न के सबंध में आपके द्वारा वांछित जानकारी निम्नानुसार है-

प्रश्न कमांक 345 **बिंदु क** दिनांक 27 जूलाई 2024 -क्या उज्जैन मे बीज उत्पादक कंपनियो व म.प्र. बीज प्रमाणीकरण संस्था पर फर्जी एग्रीमेंट के जरिए भ्रष्टाचार की लोकायुक्त/ईओड़ब्ल्यु/जांच प्रगति पर है। यदि हां, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)बी , 13(2) के तहत 5 अधिकारियो पर मुकदमा दर्ज की प्रति देते हुए विभागीय जांच 2025 की निष्कर्ष अनुसार क्या-क्या दण्डांत्मक कार्यवाही होगी ?

उत्तर- आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई उज्जैन में बीज उत्पादक कंपनियो व म.प्र.बीज प्रमाणीकरण संस्था पर फर्जी एग्रिमेंट के जरिये भ्रष्टाचार संबधी दिनांक 27.07.2024 की शिकायत जांच/अपराध विवेचना से सबंधित जानकारी निरंक है।

नोट- आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई उज्जैन में बीज प्रमाणीकरण अधिकारियो व बीज उत्पादक संस्थाओ से सबंधित कुल 2 अपराध व 1 शिकायत पूर्व से जांचाधीन है जिससे सबंधित जानकारी निम्नानुसार है-
सरल क्रं 1- आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई उज्जैन में बीज प्रमाणीकरण विभाग खण्डवा के अधिकारीगण व बीज उत्पादक संस्थाओ के द्वारा वर्ष 2021 -22 में खण्डवा एवं खरगोन जिले के किसानो के नाम से बीज उत्पादन कर भ्रष्टाचार करने सबंधी शिकायत कमांक 157/2023 दिनांक 13.07.2023 को पंजीबद्ध कर जांच में ली गई थी। उक्त शिकायत प्रकरण को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ

2

इकाई इंदौर के क्षैत्राधिन होने से इकाई इंदौर को स्थानांतरित किये जाने हेतु आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल को दिनांक 13.06.25 को पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई उज्जैन के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

सरल कं 2– आर्थिक अपराध प्रकोष्ठं इकाई उज्जैन में अपराध कमांक 5/11 से सबंधित जानकारी निम्नानुसार है–

अपराध कमांक	अभियुक्तगण	अद्यतन स्थिती
अपराध क्रमांक 5/11 धारा 409,420,467,468,471,474, 120बी भादवि.धारा 13(1)डी ,13(2) भ्र.नि.अ.1988 संशोधित 2018 धारा 7 सी, बीज अधिनियम 1966 की धारा 19, सहपठित बीजो से सबंधित नियम 1968 के नियम 13	1. श्री लोकेंद्र सिंह राजपूत 2. श्री दयाराम भावेल पिता श्री कनक सिंह सहायक बीज प्रमीकरण अधिकारी बीज प्रमाणीकरण संस्था उज्जैन 3. श्री राकेश यादव सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी उज्जैन एवं अन्य	प्रकरण में आरोपी लोकेन्द्र सिंह राजपूत के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आरोपीगण दयाराम भावेल, राकेश यादव, जितेन्द्र राजपुत के विरूद्ध पूरक अभियोग पत्र दिनांक 28.02.2024 को प्रस्तुत किया गया। शेष आरोपीगण के विरुद्ध प्रकरण धारा 173(8) जा.फौ. अन्तर्गत विवेचना में है।

सरल कं 3– आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई उज्जैन में अपराध कमांक 48/17 से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है–

अपराध कमांक	अभियुक्तगण	अद्यतन स्थिती
अपराध कमांक 48/17 पंजी. दि. 10.11.17 धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी भादवि एवं 13(1)(डी), 13(2) भ्रनिअ 1988	लोकसेवक – 1. विश्वनाथ सिंह सिकरवार रैंक–1, तत्का. बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, संभागीय कार्यालय उज्जैन 2.कमलकान्त अहिरवार रैंक–4, परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल में चपरासी 3. राजीव सिन्हा, तत्कालिन सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, बीज प्रमाणीकरण संस्था, संभाग– उज्जैन	प्रकरण वर्तमान में विवेचना में है।

[illegible]
[illegible]
[illegible], कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

(पुलिस अधीक्षक)
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ
ईकाई – उज्जैन

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परिशिष्ट क्रमांक 01 में पृष्ठ क्रमांक 01 से 02 तक कुल 02 पृष्ठ अंकित है।

बीज प्रमाणीकरण अधिकारी
उज्जैन